

फारम - 3 (अ)

म.प्र. की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(नियम २,३,५ देखें)

दिनांक 2.9.02

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ६२३ जिला - हरदा मध्यप्रदेश

पुस्तक क्र. :

103

प्रमाण पत्र क्र.

06

प्रकरण क्र.

5741

बी 121/01-02

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती/कुमारी

बालकेश कुमारी

पिता/पति श्री

प्रेम नारायण

निवासी ग्राम

होशंगाबाद

तहसील

होशंगाबाद

जिला/संभाग

हरदा

होशंगाबाद

मध्यप्रदेश के निवासी है,

जो

जाति

जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम

जाति / अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ८-५/पच्चीस/४/८४, दिनांक २ दिसम्बर १९६४ द्वारा अधिमार्ग किया गया है। और यह जाति/उपजाति मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ७३३ पर अंकित है।

श्री

बालकेश कुमारी

और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश

के जिला-

हरदा

संभाग

होशंगाबाद

में निवास करता है व मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक

को प्रवृत्त कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री

प्रेम नारायण

(पिता/पति का नाम) क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. ३६०/२/२२/६३ स्था. (एस.टी.सी.) दिनांक ०८/०६/६३ द्वारा जारी सूची के कॉलम-३ में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ७-२६/६३/१/आ.प्र. दिनांक ८ मार्च १९६४ के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'ई' की अनुसूची के कॉलम (३) में किया गया है।

(यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री श्रीमती/कुमारी

प्रेम नारायण

के पिता/पति का कुल वार्षिक आय रुपये

२९,०००/- पच्चीस हजार रुपये



हस्ताक्षर प्रमाणित अधिकारी का नाम
[Signature]
[Name]